

फर्द अहकाम


न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 61/2013 वाद

घीसुलाल बनाम श्री मोडा वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
<p>3 6/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी उपस्थित है । अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई । अधिवक्ता वादी को प्राप्त विभाजन फहरिस्त एवं नक्शाट्रेस पर कोई आपत्ति नहीं होने से तहसीलदार गढबोर से प्राप्त विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस स्वीकार किये जाकर ग्राम जवारिया पटवार मण्डल खरनोटा तहसील गढबोर की जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 के खाता संख्या 51 किता-1 रकबा 1.12.00बीघा व खाता संख्या 50 किता-4 रकबा 2.05.00 बीघा भूमि की स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । पालना हेतु डिक्री की प्रमाणित प्रति व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस तहसीलदार गढबोर को भेजा जावे । वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।</p>	




 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द